an>

Title: Regarding crop loss suffered by the farmers due to heavy rains and hailstorm in Agra district of Uttar Pradesh.

श्री बाबूलाल चौधरी **(**फतेहपुर सीकरी**) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे यहां आगरा जनपद में अभी कुछ दिन पहले इतनी भयंकर बरसात और ओला पड़ा है, जिससे किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, कई लोग मर चुके हैं और जो कम्पैनसेशन वाला मैटर है, वह बहुत पुराना नियम है। आज नौ हजार रुपये प्रति हैक्टेअर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलने की उम्मीद है। मगर नौ हजार रुपये हैक्टेअर के हिसाब से दो हजार रुपये प्रति बीघा पड़ता है। दो हजार रुपये प्रति बीघा पर तो आज किसान की जुताई भी नहीं हो पाती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की लागत का डेढ़ गुना का वायदा किया गया था। आलू की फसल 90 पर्सेंट खत्म हो चुकी है। आलू की फसल के लिए आज कम से कम 40 हजार रूपये प्रति बीघा के हिसाब से लागत पड़ती है। किसान बिल्कुल मर चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सब ऋणों को माफ किया जाए और किसानों का जो पुराना नियम है, उसको बदला जाए तथा किसानों को फसल बीमा योजना के आधार पर हर फसल की लागत जैसे आलू की लागत 40 हज़ार रूपए है, गेहूं की लागत करीब 20 हज़ार रूपए है तथा सरसों की लागत करीब 15 हज़ार प्रति बीघा के हिसाब + लाभ के आधार पर बीमा दिलाया जाए तथा मुआवजा दिलाया जाए। पशुधन के मरने पर भैंस के मातू आज 15-16,000 रूपए प्रति के हिसाब से मिलता है, जबकि आज भैंस की कीमत बाज़ार के हिसाब से करीब 70,000 रूपए मिलना चाहिए। अतः इस पुराने नियम को बदलना जरूरी है।